

(616)

**GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)**

No.E(NG)I-2005/PM1/20

New Delhi, dated 20.02.2006

The General Manager (P)
All Indian Railways and
Production Units,
Chairmen, Railway Recruitment Boards.

**Sub:-Introduction of LDCE quota in the categories of OS-II scale
Rs.5500-9000 and Personnel Inspector scale Rs.6500-10500.**


As the Railways are aware Direct Recruitment Quota to the extent of 20% of posts as introduced under the restructuring orders effective from 01.11.2003 in the categories of Office Superintendent Gr.II (OS-II) in the pay scale of Rs.5500-9000 and Personnel Inspector (PI) in the pay scale of Rs.6500-10500 was replaced by Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) quota to the same extent vide instructions contained in this Ministry's letter of even number dt.17.06.2005 (RB/Estt. No.102/2005).

2. It has been brought to the notice of this Ministry by NFIR that Board's above instructions are adversely affecting the promotional prospects of senior employees as in view of operation of post based rosters all the vacancies that are arising in the respective grades of OS-II and PI are being filled by LDCE till prescribed percentage of posts is reached.

3. The matter has been considered by the Board and it has been decided that till such time prescribed percentages are reached in the categories of OS-II (Rs.5500-9000) and PI (Rs.6500-10500) the vacancies may be filled by LDCE and promotion by Selection on 50:50 basis subject to the condition that if only one post falls vacant the same should be filled by LDCE. In case of fraction also the vacancy should go to LDCE. Once the prescribed percentages are reached, the posts should be filled on like go like come basis as per the extant procedure.

4. These instructions will be applicable to the LDCes notified on or after the date of issue of this letter.

Please acknowledge receipt.


(J. S. Gusain)
Director Estt.(N)
Railway Board.

No. E(NG)I-2005/PM1/20

New Delhi. Dated 20-2-2006.

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi.
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi.

7590107
For Secretary/Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एन जी) I-2005/पी एम1/20 नई दिल्ली, दिनांक 20.02.2006

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड

विषय:- कार्यालय अधीक्षक II वेतनमान 5500-9000/- और कार्मिक निरीक्षक 6500-10500/- रु. की कोटियों में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा कोटा आरंभ करना.

जैसा कि रेलों को विदित है कि 01.11.2003 से प्रभावी पुनर्संरचना आदेशों के अंतर्गत 5500-9000/- रु के वेतनमान में कार्यालय अधीक्षक ग्रेड II(ओ एस-II) और 6500-10500/-रु के वेतनमान में कार्मिक निरीक्षक (पी आई) की कोटियों में पदों के 20%की सीमा तक लागू किए गए सीधी भर्ती कोटा को इस मंत्रालय के दिनांक 17.6.2005 के समसंख्यक पत्र (आर बी स्था. सं. 102/2005) में अंतर्विष्ट अनुदेशों के तहत उसी सीमा तक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से प्रतिस्थापित किया गया था.

2. एन एफ आई आर द्वारा इस मंत्रालय के नोटिस में यह बात लायी गयी है कि बोर्ड के उपर्युक्त अनुदेश वरिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं चूंकि पद आधारित रोस्टर्स के परिचालन को देखते हुए सभी रिक्तियां जो कार्यालय अधीक्षक और कार्मिक निरीक्षक के संबंधित ग्रेडों में उत्पन्न हुई हैं, को पदों के निर्धारित प्रतिशत की प्राप्ति तक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा जा रहा है.

3. इस मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि जब तक कार्यालय अधीक्षक-II (5500-9000/-) और कार्मिक निरीक्षक (6500-10500/- रु.) की कोटियों में निर्धारित प्रतिशत प्राप्त नहीं हो जाता तब तक

रिक्तियों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा और चयन द्वारा पदोन्नति से 50:50 के आधार पर भरा जाए बशर्ते कि यदि केवल एक पद रिक्त होता है तो उसे सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा जाए। पदों के अनुपात में भिन्नता के मामले में भी रिक्ति सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा ही भरी जाए। जैसे ही निर्धारित प्रतिशत प्राप्त हो जाते हैं, पदों को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार 'जैसा गया वैसा आया' आधार पर भरा जाए।

ये अनुदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख या उसके बाद अधिसूचित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा पर लागू होगा।

कृपया पावती दें।



(जे. एस. गुसाई)

निदेशक स्थापना (अराज)


रेलवे बोर्ड.

सं. ई(एन जी) I-2005/पी एम1/20

नई दिल्ली, दिनांक 20.02.2006

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महासचिव, आल इंडियन रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली.
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली.


कृते सचिव/रेलवे बोर्ड